न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—266/2011/223 (2011/00040)

1. श्रीमती कंकू पुत्री भीमा रेबारी पत्नि अमान रेबारी, निवासी केबानिया, तहसील भिनाय, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती घेवर पुत्री भीमा रेबारी पत्नि गायड रेबारी, निवासी आमली की ढाणी, तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा ।
3. श्रीमती सुरमा पुत्री भीमा पत्नि बरदा, जाति रेबारी, निवासी शेरगढ़, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती झूमा पत्नि भीमा,
2. बन्ना पुत्र भीमा,
3. नेनूराम पुत्र भीमा,
   तीनों जाति रेबारी, निवासी ग्राम लक्ष्मीखेड़ा, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
4. नारायण पुत्र पाबूदान (मु0 लाडू पुत्री भीमा पत्नि नारायण)
5. मदरूप पुत्र नारायण,
6. गुलाब पुत्र नारायण,
7. सुवा पुत्र नारायण,
8. माणक पुत्र नारायण,
   समस्त जाति रेबारी, निवासी ग्राम आमेसर, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
9. श्रीमती रूकमा पुत्री नारायण पत्नि गूदड़, जाति रेबारी, नि0 रूघनाथगढ तहसील भिनाय, जिला अजमेर ।
10. मु0 मीरा पुत्री नारायण, जाति रेबारी, निवासी लक्ष्मीखेड़ा, तहसील मसूदा जिला अजमेर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 31.3.2011 अंतर्गत वाद संख्या 93/2008.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़ एवं श्री विकास कुमार गुगरवाल,वकील अपीलांटस।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 10 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 25.1.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.3.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 53, एवं 92—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि मौजा लक्ष्मीखेड़ा पटवार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

हल्का सथाना तहसील मसूदा, जिला अजमेर के भीमा पुत्र आसू रेबारी के खाते में खसरा संख्या 31, 32/2, 40, 42, 43, 171, 176, 180, 225 कुल किता 9 कुल रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा भूमि अवस्थित है । भीमा पुत्र आसु की मृत्यु हो जाने के पश्चात् इंतकाल संख्या 76 दिनांक 24.8.1998 में उसके दो पुत्र व उसकी बेवा यथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज कर दिया गया । इसी प्रकार अन्य खाता संख्या 5 के खसरा संख्या 35, 157, 231 कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि अवस्थित है जिसका भी भीमा की मृत्यु उपरांत इंतकाल संख्या 79 दिनांक 10.10.1998 के तहत भीमा के दोनो पुत्रों व उसकी बेवा के नाम स्वीकृत कर दिया गया तथा खसरा संख्या 231 रकबा 1.2788 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना 1/3 हिस्सा विक्रय कर दिया है, जिसके संबंध में वादियागण ने अलग से सिविल न्यायालय में चाराजोही की हुई है इस कारण उक्त वाद में खसरा संख्या 231 बाबत् कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है । वादीगण ने वाद में भीमा का सजरा अंकित कर कथन किया कि उक्त सजरे अनुसार भीमा की विरासत का नामांतकरण भीमा के दोनो पुत्र तथा बेवा के साथ उसकी चारों पुत्रियों यथा मु0 लाडू, कंकू, मु0 घेवर व मु0 सुरमा के नाम भी खुलना चाहिये था परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने कपटपूर्ण तथाकथित रूप से अपने नाम भीमा पुत्र आसू का इंतकाल स्वीकृत करवा लिया जो अवैध है । विवादित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ वादीगण का 1/7 हिस्सा निहित है । उक्त गलत इंद्राज के आधार पर प्रतिवादीगण वादीगण के हक हिस्से में दखलदांजी करते है तथा वादग्रस्त आराजियात को रहन, बय, मुंतकिल करने की धमकियां देते है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वादीगण को विवादित आराजियात में वाद में अंकितानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तकासमा की डिक्री पारित की जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.3.2011 को वादीगण का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् वाद पेश किया गया था लेकिन अधी0न्याया0 द्वारा कोई तनकी कायम नहीं की गई इस कारण अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री आदेश 14 एवं 20 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादीगण द्वारा वादपत्र के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 2 में भीमा का सजरा अंकित किया है एवं उक्त सजरे को प्रतिवादीगण द्वारा इंकार नहीं किया गया है न ही सजरे के विपरीत ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है जिससे वादीगण मृतक खातेदार भीमा की पुत्रियां होना साबित होती हो । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे न ही उनके द्वारा कोई जवाब पेश किया है जिससे स्पष्ट था कि प्रवितादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित सजरे को स्वीकार किया गया है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को प्रतिवादीगण की अदृश्य स्वीकारोक्ति के आधार पर वाद पत्र में अंकित सजरे को सही मानकर वाद डिक्री करना चाहिये था । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक खातेदार की पुत्रियां अन्य पारिवारिक सदस्यो के साथ वादग्रस्त आराजियात में बराबर हिस्से की अधिकारिणी है तथा विवादित आराजियात पुश्तैनी होना भी स्वंय सिद्ध है क्योंकि इसके विपरीत कोई

साक्ष्य अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है । हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 6 एवं 8 के अनुसार वादीगण मृतक की प्रथम श्रेणी की वारिसान होकर प्रतिवादीगण के साथ बराबर का हक अधिकार रखती है । मान0 सर्वोच्च न्यायालय की माननीय खण्डपीठ द्वारा आर0आर0डी0 1999 पेज 183 एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा 1996 आर0आर0डी0 पेज 79 व 381 पर प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद निरस्त करने में विधिक एवं कानूनी त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में ए0आई0आर0च 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 2025 एवं डी0एन0जे0 2020 पार्ट–3 पेज 817 सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त प्रकरण में पैरीवी हेतु श्री उम्मेदसिंह मेहता, अधिवक्त निवासी गुलाबपुरा को नियुक्त किया था जिन्होंने वादीगण के बयान होने के पश्चात् अधी0न्याया0 में पक्षकारों को उपस्थित नहीं होने की हिदायत दी तथा कहा कि निर्णय होने पर अवगत करा देंगे । इस कारण वादीगण अपने अधिवक्ता के भरोसे रहे एवं काफी समय गुजर जाने के पश्चात् दिनांक 10.5.2011 को प्रार्थीगण संख्या 2 जब अधी0न्याया0 के समक्ष गई तथा प्रकरण की जानकारी रीडर से चाही तो ज्ञात हुआ कि प्रकरण में निर्णय हो चुका है। तत्पश्चात् अधिवक्ता से संपर्क कर निर्णय की जानकारी प्राप्त की । तत्पश्चात् प्रार्थिया ने रूपये–पैसो का इंतजाम कर दिनांक 10.6.2011 को गुलाबपुरा जाकर अधिवक्ता से मिली जिनके द्वारा दिनांक 8.4.2011 को प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया था जिस पर दिनांक 11.5.2011 को नकल प्राप्त हुई । अधिवक्ता ने अवगत कराया कि प्रकरण की अपील भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में होगी किन्तु भीलवाड़ा का पद रिक्त होने से अजमेर न्यायालय में अपील होगी । इसके उपरांत प्रार्थीगण ने अजमेर आकर दिनांक 7.7.2011 को अभिभाषक से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है। अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 53, एवं 92–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि मौजा लक्ष्मीखेड़ा पटवार हल्का सथाना तहसील मसूदा, जिला अजमेर के भीमा पुत्र आसू रेबारी के खाते में खसरा संख्या 31, 32/2, 40, 42, 43, 171, 176, 180, 225 कुल किता 9 कुल रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा भूमि अवस्थित है । भीमा पुत्र आसु की मृत्यु हो जाने के पश्चात् इंतकाल संख्या 76 दिनांक 24.8.1998 में उसके दो पुत्र व उसकी बेवा यथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज कर दिया गया । इसी प्रकार अन्य खाता संख्या 5 के खसरा संख्या 35, 157, 231 कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि अवस्थित है

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

जिसका भी भीमा की मृत्यु उपरांत इंतकाल संख्या 79 दिनांक 10.10.1998 के तहत भीमा के दोनो पुत्रों व उसकी बेवा के नाम स्वीकृत कर दिया गया तथा खसरा संख्या 231 रकबा 1.2788 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना 1/3 हिस्सा विक्रय कर दिया है, जिसके संबंध में वादियागण ने अलग से सिविल न्यायालय में चाराजोही की हुई है इस कारण उक्त वाद में खसरा संख्या 231 बाबत् कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है । विवादित आराजियात में वादीगण/अपीलांटस को प्रतिवादीगण के साथ 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 17.2.2011 अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाब बंद किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । तत्पश्चत् विद्वान अधी0न्याया0 ने दिनांक 18.3.2011 को वादी/अपीलांटस की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 31.3.2011 को वादीगण/अपीलाटस का वाद इस आधार पर निरस्त किया कि वादीगण भीमा की पुत्रियां इस बाबत् विधिक प्रमाणित सजरा पेश नहीं किया है तथा वादग्रस्त भूमियां नामांतकरण संख्या 76 दिनांक 24.8.1998 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम इंद्राज होकर चली आने से नामांतकरण की अपील नहीं करना भी पाया जाता है तथा वादीगण का 1/7,1/7 हिस्से पर कब्जा होना भी नहीं पाया जाता है । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेख किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र का जवाब पेश कर वादीगण खातेदारी भीमा की पुत्रियां नहीं हो इंकार नहीं किया है । अपीलांटस ने ग्राम लक्ष्मीखेड़ा पटवार क्षेत्र सथाना तहसील ब्यावर की जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 पेश की जिसके अनुसार खाता संख्या 29 के खसरा नंबरा नंबर 31, 32/2, 40, 42, 43, 171, 176, 180, 225 कुल किता 9 कुल रकबा 21 बीघा 11 बीघा भूमियां भीमा पुत्र आसू कौम रेबारी सा0देह खातेदारी से दर्ज है । इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 ग्राम लक्ष्मीखेड़ा तहसील ब्यावर के खाता संख्या 5 में दर्ज खसरा नंबरान 35, 157, 231 कुल रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा काना वल्द धूला कौम गूजर के नाम दर्ज थी जो जरिये नामांतकरण संख्या 78 दिनांक 10.10.1998 द्वारा बेचान से पूरा खाता काना पुत्र धूला के स्थान पर भीमा पुत्र आसू के नाम दर्ज किया गया । तत्पश्चात् नामांतकरण संख्या 79 दिनांक 10.10.1998 द्वारा भीमा के फौत होने पर भीमा के स्थान पर विरासत से बन्ना, नानू पुत्रगण भीमा व झूमा पत्नि भीमा के नाम अंकन स्वीकार किया गया है । उपरोक्त जमाबंदियों से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजियात अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पिता एवं पति की आराजियात होकर पुश्तैनी आराजियात है । प्रतिवादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष जवाबदावा पेश कर वादीगण भीमा की पुत्रियां नहीं हो इस बात से इंकार नहीं किया है एवं ना ही इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये है । वादीगण मृतक खातेदार भीमा की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिसान है जिनका विवादित आराजियात में बराबर हक व अधिकार है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांटस द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत डी0एन0जे0 2020 (3) सुप्रीम कोर्ट पेज 817 का अवलोकन किया गया जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि " हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956–धारा 6 (9.9.2005 पर संशोधन किया गया गया)– सहदायी सम्पति मे पुत्री के अधिकार–संशोधन क्या भूतलक्षी है या नहीं–दो निर्णयों के बीच विराधाभासी मत–रेफरेंस–पुत्र की तरह पुत्री भी सहदायी है चाहे संशोधन के पूर्व जन्मी हो या बाद में और समान अधिकार और दायित्व रखी है–पूर्व में जन्मी पुत्री 20.12.2004 के पूर्व निस्तारित अथवा अन्य संक्रमित अथवा विभाजित या वसीयती निस्तारित सम्पति में अधिकार का दावा कर सकती है–9.9.2005 को पिता जीवित

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

होना चाहिये आवश्यक नहीं है क्योंकि सहदायिकी में अधिकार जन्म से है–विभाजन हेतु प्रारंभिक डिक्री पारित होने के बाद भी पुत्र के समान पुत्रियां भी बराबर हिस्से की हकदार है–मौखिक विभाजन का अभिवाक् स्वीकार नही किया जा सकता है क्योंकि विभाजन रजिस्टर्ड विभाजन विलेख द्वारा अन्यथा न्यायालय की डिक्री द्वारा प्रभावी होता है–निणित, पुत्रियों को धारा 6 के अतर्गत उनको प्रदत्त समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और 9.9.2005 से अधिकार का दावा कर सकती है । '' माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से यह स्पष्ट है कि वादीगण मृतक खातेदार भीमा की पुत्रियां होकर मृतक खातेदारी की आराजियात में पुत्रियों/अपीलांटस का भी जन्म से हक व अधिकार है । भीमा की विरासत नामांतकरण खोलते समय पुत्रियों का नाम दर्ज नही किया गया है । अधी0न्याया0 ने केवल मात्र इस आधार पर की वादीगण द्वारा विधिक सजरा पेश नहीं किया गया है वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादीगण/अपीलांटस जो कि मृतक खातेदार भीमा की पुत्रियां होकर प्रथम श्रेणी की वारिसान है जिनका भी विवादित आराजियात में जन्म से हक व अधिकार है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा वाद संख्या 93/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.3.2011 निरस्त किया जाता है तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर वादीगण को ग्राम लक्ष्मीखेड़ा पटवार हल्का सथाना तहसील मसूदा, जिला अजमेर के भीमा पुत्र आसू रेबारी के खाते में खसरा संख्या 31, 32/2, 40, 42, 43, 171, 176, 180, 225 कुल किता 9 कुल रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा एवं अन्य खाता संख्या 5 के खसरा संख्या 35, 157, 231 कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक को 1/7, 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । प्रतिवादीगण को इस स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण/अपीलांटस की खातेदारी आराजियात में किसी प्रकार का दखल, व्यवधान उत्पन्न नहीं करे । पत्रावली अधी0न्याया0 को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि विवादित आराजियात के संबंध में तहसीलदार से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर वाद में बंटवारे की अंतिम डिक्री पारित करे । तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 25.1.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर